संख्या: 15/2026/बी-1- 1364/दस-2026-16/94

प्रेषक,

संदीप कौर
सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 04 जून, 2026

विषयः सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषागारों को बजट आवंटन भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-1-2735/दस-2011-16/94, दिनाँक 29 जुलाई, 2022 के प्रस्तर-3 एवं 4 में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है-

"3- विभागों में तैनात बजट आवंटन का कार्य करने वाले सुपर यूज़र द्वारा कम्प्यूटर जनित बजट आवंटन आदेश को डिजिटली हस्ताक्षर करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है। उक्त व्यवस्था के लागू होने पर बजट आवंटन आदेश की सॉफ्ट कापी कोषागार एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऑन लाईन उपलब्ध हो सके तथा हार्ड कापी की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 07 सितम्बर, 2011 एवं 26 फरवरी, 2013 में दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर-3 में वर्णित व्यवस्था के लागू होने तक, कोषागारों की हार्ड कापी समय से प्राप्त न होने की दशा में, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बजट एलाटमेन्ट सिस्टम से जनित बजट आवंटन की अपनी प्रतिलिपि को सत्यापित कर कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कोषागार द्वारा अपने कंप्यूटर बजट आवंटन को उक्त सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर लोड / अपडेट किया जा सकेगा ।"

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- शासन के संज्ञान में लाया गया है कि "budgetallot" एप्लीकेशन में बजट आवंटन हेतु सुपर यूजर के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के पंजीकरण की व्यवस्था काफी पहले की जा चुकी है एवं कई सुपर यूजर्स द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ कंप्यूटर जनित बजट आवंटन आदेश निर्गत किये भी जा रहे हैं परन्तु बजट आवंटन आदेश की सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर ही कोषागारों द्वारा अपने कंप्यूटर में बजट आवंटन को लोड/अपडेट किया जा रहा है। इससे भुगतान की प्रक्रिया में परिहार्य विलम्ब हो रहा है जिसके फलस्वरूप योजनाओं का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, कई विभागों के सुपर यूजर्स द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का पंजीकरण अभी तक नहीं कराया गया है। यह दोनों ही परिस्थितियां उचित नहीं है।

3- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2022 में उल्लिखित बजट आवंटन की हार्डकॉपी कोषागार में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए यह व्यवस्था स्थापित की जाये कि डिजिटली हस्ताक्षरित कंप्यूटर जनित बजट आवंटन आदेश "budgetallot" एप्लीकेशन पर जेनेरेट होते ही कोषागार स्तर पर बजट आवंटन आदेश स्वतः लोड/अपडेट हो जायेगा। इस हेतु निदेशक, कोषागार "budgetallot" एप्लीकेशन में आवशयक संशोधन तत्काल सुनिश्चित कराएँगे।

यह भी निर्णय लिया गया है कि "budgetallot " एप्लीकेशन में यह व्यवस्था की जाये कि बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बजट आवंटन आदेश जेनेरेट न हो । अत: यह आवश्यक होगा कि अभी तक जिन विभागों के बजट आवंटन सुपर यूजर द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पंजीकृत नहीं कराया गया है, वह डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का पंजीकरण “budgetallot” एप्लीकेशन मे प्रत्येक दशा में विलंबतम दिनांक 15 जून, 2026 तक अनिवार्यतः करा लें। यह कार्यवाही न किये जाने पर किसी भी प्रकार की असुविधा का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

संदीप कौर
सचिव, वित्त।

संख्या: 15/2026/बी-1-1364(1)/दस-2026-16/94, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, विभागों / कार्यालयों में कार्यरत् वित्त एवं लेखा सेवा के समस्त अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त ।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 15/2026/बी-1- 1364(2)/दस-2026-16/94, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज ।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ ।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10. निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
11. निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, न्यू हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in